



**उमेश कुमार तिवारी**

Received-12.11.2022,    Revised-18.11.2022,    Accepted-23.11.2022    E-mail: uktppooja78@gmail.com

**सारांशः** शिक्षा के प्रभाव से बालक अपनी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है। इसलिए शिक्षा को अनुशासन भी कहा गया है। शिक्षक के द्वारा जिज्ञासु मस्तिष्क, संवेदनशील इदय, चेतनशील आत्मा तथा छानवीन करने वाले विषेक का विकास होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति बर्बरता से सम्यता तक तथा अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है।

भारत में मध्यान्ह भोजन योजना की शुरुआत पहली बार 1925 में मद्रास में हुई। इसके बाद कलकत्ता (1928), केरल (1941) और मुम्बई (1942) में इसकी शुरुआत की गई। प्राथमिक अवस्था में मध्यान्ह भोजन योजना गरीबी उन्मूलन व पोषण की योजना थी।

**इच्छिकृत ग्रन्थ-** भावनात्मक, आध्यात्मिक शक्तियों, अनुशासित, रिफल, मस्तिष्क, चेतनशील इदय, चेतनशील आत्मा।

शिक्षा द्वारा व्यक्ति बर्बरता से सम्यता तक तथा अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा के ही कारण हमें अपने पूर्वजों से संबंध है। इसी के कारण हम अतीत के संचित अनुभवों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वर्तमान का अभास करते हैं और भविष्य के लिए विकास की विविध योजनाएं तैयार करते हैं।

“शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक निधि को सुरक्षित रखता है और फिर उसे समृद्धि बना कर आगामी पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है।”

“मध्यान्ह भोजन योजना सर्वप्रथम आजादी के पहले नगर निगम द्वारा 1925 ई0 में प्रारम्भ की गयी थीं 1980 ई0 के मध्य यह गुजरात, केरल तमिलनाडु और पाण्डुचेरी में भी प्रारम्भ कर दी गई।<sup>3</sup> प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मुंत्रालय में सहयोग से सन् 1995 ई0 में प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार जिन राज्यों में यह योजना चलायी गयी वहाँ के छात्रों में सम्प्राप्ति का स्तर भी बढ़ा तथा छात्रों की नामांकन एवं उपस्थिति की संख्या में वृद्धि हुई।<sup>4</sup>

**अध्ययन की आवश्यकता** — मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन कैसे हो रहा है तथा यह योजना प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति वृद्धि में कितना कारगर हो रहा है। यह शोध का विषय है तथा शोधार्थी के मन में इस विषय पर शोध करने की उत्सुकता जागृत हुई।

**समस्या कथन** — “प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के उपस्थिति पर मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभावों का एक सुक्ष्म अध्ययन”।

#### तकनीकी शब्दों की क्रियात्मक परिभाषा—

1. “प्राथमिक विद्यालय — से तात्पर्य जहाँ कक्षा 1 से 8 तक बच्चे पढ़ते हैं।<sup>5</sup>
2. मध्यान्ह भोजन योजना — यह एक राष्ट्रीय योजना है जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्यावकाष में भोजन के रूप में दिया जाता है।
3. उपस्थिति : उपस्थिति से तात्पर्य प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के प्रतिदिन विद्यालय आने से है।

#### शोध का उद्देश्य — प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया जायेगा—

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति पर मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।

**शोध की परिकलਪनाएं** — प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की उपस्थिति पर मध्यान्ह भोजन योजना का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है।

#### शोध की परिसीमाएं —

1. शोध परिणाम केवल जनपद प्रतापगढ़तक सीमित होगा।
2. शोध प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 01 से 08 तक) ही सीमित रहेगा।

**शोध विधि** — शोधार्थी द्वारा वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जायेगा।

**जनसंख्या** — शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जनसंख्या का निर्माण करेंगे।



**न्यादर्श** – शोध अध्ययन में इलाहाबाद मण्डल में प्रतापगढ़ जनपद के प्राथमिक विद्यालयों एवं उसमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का सोशैश्य न्यादर्श विधि द्वारा चयनित किया गया है।

**सांख्यिकी विधि** – शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए प्रतिशतीय सांख्यिकी विधि एवं ग्राफीय चित्रण के द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।

**मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत साप्ताहिक मिन्यू – मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत सप्ताहिक मीन्यू**  
**तालिका संख्या-1**

क्र०स्त्र०	दिन	व्यंजन के प्रकार
01	सोमवार	रोटी-सब्जी एवं मौसमी ताजा फल
02	मंगलवार	चावल-सब्जी युक्त दाल
03	बुधवार	तहरी एवं उबला हुआ दूध
04	गुरुवार	रोटी-सब्जी युक्त दाल तहरी
05	शुक्रवार	तहरी
06	शनिवार	चावल-सब्जी: सौंफारीन


**स्त्रोत-** जनपद-प्रतापगढ़ (उत्तरप्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों के दीवारों पर तालिकायों द्वारा दिखाया गया है। )

**छात्रों की उपस्थिति –** मध्यान्ह भोजन योजन के कारण जनपद के सभी विकास खण्डों के पिछले पाँच वर्षों के उपस्थिति के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं इन आँकड़ों का विश्लेषण तालिका संख्या 02 में किया गया है।

**तालिका सं-02**

वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
133,035	145,476	143,731	143,731	167,877

**स्त्रोत: कार्यालय जिला बेसिक विकास अधिकारी प्रतापगढ़**  
**चित्र संख्या- 01**



**आँकड़ों का विश्लेषण एवं परिणाम –** तालिका संख्या 02 से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2017-18 में विद्यालयों में उपस्थिति छात्रों की संख्या 133835 थी। जबकि 2018-19 में विद्यालयों में यह संख्या 145476 हो गयी तथा 2019-20 में पुनः- घटकर 143,731 हो गयी और 2020-21 में बिना किसी परिवर्तन के 143731 तथा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 167877 हो गयी।

**निष्कर्ष –** अतः वर्ष 2019-20 व 2020-21 में तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में तो काई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन 2017-18 से 2021-22 में छात्रों की उपस्थिति में बढ़ोत्तरी हुई है। अतः दी गयी परिकल्पना अमान्य घोषित हुयी।

**सुझाव-** इस योजना के संचालन में कई विभागों के समन्वय की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में इस योजन के लिए विकेन्द्रित शासन प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संपूर्ण दायित्व दिया जाना चाहिए। गुणवत्ता पूर्ण अनाज के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति को इसका दायित्व दिया जाये। मध्यान्ह भोजन संचालन के लिए स्कूल के शिक्षकों को ना लगाकर किसी प्राइवेट संस्था से करवाया जाय, जिससे की शिक्षक पठन-पाठन पर जोर दे सके। बच्चों को भोजन के पहले साबुन से हॉथ धुलने के लिए कक्षाध्यापक नियोजित करे तथा रसोइघर कक्षाओं से किनारे बनाया जाय, जिससे कि बच्चों का शिक्षण कार्य के समय इधर-उधर ध्यान न भटके।



## **संदर्भ ग्रन्थ सूची**

1. बुनियादी शिक्षा समिति 1958.
2. हंसा मेहता शिक्षा समिति 1962.
3. लाल एवं शर्मा, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, पृ० 259.
4. शर्मा, आर०ए० (2009) शिक्षा अनुसंधान एवं सांख्यिकी, आर०एल० बुक डिपों, मेरठ, पृ० 201.
5. सिंह, रामपाल सिंह एवं शर्मा, ओ०पी० (2011) शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा पृ० 209.

\*\*\*\*\*